रजिस्ट्री सं. सी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1990/आषाढ़ 5, 1912
No. 353] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1990/ASADHA 5, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1990

का.आ. 510(अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एकल सदस्यीय जांच आयोग अर्थात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह जिन्हें बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनियासी भारतीय हाऊसिंग एसोसिएशन (कर्नाटक) नाम की प्राइवेट

लिमिटेड कम्पनी को होसूर-सरजापुर रोड (कर्नाटक) में 110 एकड़ भूमि के स्थानांतरण के प्रस्ताव तथा मैसर्ज नारायणस्वामी एण्ड सन्स, साउथ एण्ड रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, जिनका 886/4, लक्ष्मीपुरम, मैसूर में पंजीकृत कार्यालय है, द्वारा मैसर्ज रेवाजीतु बि... तथा डवेल्पर्स, 594-V मेन, 11वां क्रास, सदाशिव नगर, बंगलौर के नाम सर्वे संख्या 6/1 तथा 6/2, वर्त्तहल्ली गांव, बंगलौर में स्थित 5 एकड़ और 5 गुंटा (लगभग 22.622 वर्ग मीटर) भूमि को दिनांक 30-9-87 के विलेख द्वारा बेचने के एक लोक महत्व के सुनिश्चित मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 28 जून, 1989 की अधिसूचना सं. आदेश संख्या 492 के अधीन नियुक्त किया जा गया था, बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

2. अतः अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा तथा न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह उक्त आयोग के सदस्य का पद तारीख 26-6-1990 को छोड़ देंगे।

[संख्या 415/8/89-ए.वी.डी-IV

डी. पी. बागची,
संयुक्त सचि.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1990

S.O. 510(E).—Whereas the Central Government is of opinion th the continued existence of the Commission of Inquiry consisting of single member, namely Shri Justice Kuldip Singh, a Judge of the Supren Court, which was appointed under the notification of the Government India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Depar ment of Personnel and Training) No. S.O. 492(E) dated the 28th Jun 1989 to inquire into a definite matter of public importance, namely t proposal to transfer 110 acres of land in the Hosur-Sarjapur Ro (Karnataka) by the Bangalore Development Authority to the Non-Reside Indians Housing Association (Karnataka), a Private limited compan

and the sale by Messrs Narayanswamy & Sons, South End Road, Basavangudi, Bangalore, having their registered office at 886/4, Lakshmipuram, Mysore, by a deed purported to be executed on 30-9-1987 of 5 acres and 24 guntas (approximately 22,622 square metres) of land, situated in Survey No. 6/1 and 6/2 of Dasarhalli Village, Bangalore, in favour of Messrs Revajeetu Builders and Developers, 594, V Main, 11th Cross, Sadashiva Nagar, Bangalore, is no longer necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declares that the said Commission shall cease to exist and Shri Justice Kuldip Singh shall cease to hold the office of the Member of the said Commission on 26-6-90.

[No. 415/8/89-AVD-IV]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990